दिनांक 23.02.2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की आठवीं बैठक के लिए कार्यवृत्त

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की आठवीं बैठक 23.02.2017 को मध्याह्न 3:00 बजे, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अधयक्ष और समूह के अध्यक्ष श्री एडी मोहिले ने की। प्रारंभ में, समूह के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजविअ द्वारा तैयार की गई पहली प्रारूप रिपोर्ट पर पिछली बैठक में धारा-3 के पैरा 332 तक चर्चा की गई थी और अब हम रिपोर्ट के शेष भाग पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त, श्री गोपालकृष्णन ने (ई-मेल के माध्यम से) कुछ स्थानों पर कुछ सामग्री को जोड़ने/हटाने के बारे में अपने विचारों का सुझाव दिया था। इसलिए हमें जल्दी से उनके सुझावों पर गौर करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि दिए गए स्थानों पर सुझाए गए जोड़ / विलोपन की आवश्यकता है या नहीं। बाद में राजविअ के निदेशक (तकनीकी) श्री केपी गुप्ता ने कार्यसूची मदों को उठाया। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

मद संख्या 8.1: दिनांक 14 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की 7वीं बैठक की बैठक का कार्यवृत्त

नई दिल्ली में 14 फरवरी, 2017 को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त को 22 फरवरी, 2017 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। विचार-विमर्श के बाद, परिचालित कानूनी पहलुओं पर समूह की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि समूह द्वारा की गई थी।

मद संख्या 8.2: कानूनी पहलुओं पर समूह की प्रारूप रिपोर्ट पर चर्चा।

श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) ने चर्चा के लिए पूरी रिपोर्ट का दूसरा प्रारूप समूह के समक्ष रखा। सदस्यों ने सबसे पहले समूह के सदस्य श्री गोपालकृष्णन द्वारा सुझाए गए परिवर्धन/विलोपन (ई-मेल के माध्यम से) का अध्ययन किया और जहां भी इसे उचित समझा गया था, वहां आवश्यक सुधार किए। पैरा 332 के बाद रिपोर्ट पर बाद में चर्चा हुई और सदस्यों के सुझावों के आधार पर बैठक के दौरान ही विभिन्न स्थानों पर रिपोर्ट में आवश्यक सुधार किए गए। इसके अलावा, समूह के सदस्यों ने विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट में सुधार करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लिया:

(i) धारा-IV (समूह द्वारा किए गए कार्य) को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस खंड में चर्चा की गई कई चीजें दोहरावदार प्रकृति की हैं। इस प्रकार रिपोर्ट में अब केवल चार खंड होंगे।

(ii) अंतर बेसिन जल अंतरण, विशेषकर चीन, कोलोराडो, जापान, मिस्र आदि के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को अंतिम रिपोर्ट में जोड़ा जाना चाहिए।

(iii) अमरीका के उच्चतम न्यायालय के तीन निर्णयों पर समूह के सदस्य प्रो अवधेश प्रताप द्वारा दी गई सामग्री को इसकी तकनीकी पृष्ठभूमि की व्याख्या करते हुए रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) सिफारिशों को जोड़ने के मद्देनजर रिपोर्ट के सारांश को संशोधित किया जाना चाहिए।

(v) राजविअ द्वारा तैयार की गई संशोधित प्रारूप रिपोर्ट को अधिमानतः 3 मार्च, 2017 को सदस्यों के बीच परिचालित किया जाना चाहिए, जिस पर 9 मार्च, 2017 को आयोजित होने वाले प्रस्तावित समूह की नौवीं बैठक में चर्चा की जाएगी और प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा।

मद संख्या 8.3 अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मद

समूह के अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि रिपोर्ट को 09.03.2017 को होने वाली अगली बैठक में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अगली बैठक के लिए आने से पहले पूरी रिपोर्ट की विषय-वस्तु का अध्ययन करें और यदि आवश्यक हो, तो किसी भी स्थान पर अंतिम समय में परिवर्तनों का सुझाव दें।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

केंद्रीय जल आयोग , सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली में दिनांक 23.02.2017 को आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह" की 8वीं बैठक के प्रतिभागियों की सूची।

1.	श्री एडी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	प्रो अवधेश प्रताप, जल कानून और प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
3.	ए.बी. पांड्या, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य-संयोजक
4.	श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (आईएमओ), केंद्रीय जल आयोग	विशेष आमंत्रित सदस्य

	राजविअ के अधिकारी	
5.	श्री एस मसूद हुसैन, महानिदेशक	
6.	श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तक)	
7.	श्री एम.के सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार	